लय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट, आमलिया
सीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
स्व विविध प्रकरण संख्या 130 / 2016 GCMS No 2016 / 00108
रा तिथि : 24.11.2016
ला तिथि : 28.10.2021
र्थीगण::–

1. धीराराम पुत्र मुलाजी
2. चेलाराम पुत्र मुलाजी
3. रावता पुत्र मुलाजी
4. हिन्दु पुत्र मुलाजी
5. प्रभु पुत्र मुलाजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   5 / 1 निम्बाराम पुत्र प्रभुजी
   5 / 2 सादलाराम पुत्र प्रभुजी
   5 / 3 सारकीदेवी पत्नि प्रभुजी जातिगण रेवारी

निवासीगण कागदडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत, आमलिया

–:: आदेश ::– **दिनांक 28.10.2021**

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर ग्राम कागदडा पटवार मण्डल आमलिया स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 254 मी. रकबा 10 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 492 रकबा 102.31 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर मेंसे 1.60 हैक्टर की खातेदारी दन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया कि गत् खसरा नंबर 254 मी. पर प्रार्थीगण के स्व. पिता मुलाजी काविज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर काविज हैं। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अपने पिता को दिनांक 1.7.1975 को उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा आवंटन होने के बावजुद भू0प्रवन्ध कार्यवाही के बाद के रेकर्ड में सैटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा गलत रूप से गोचर के खसरा नंबर 492 रकबा 102.31 हैक्टर में शामिल करने से पुश्तैनी कब्जे अनुसार पुर्व आवंटन के अनुसार हाल खसरा नंबर 492 रकबा 102.31 हैक्टर मेंसे 10 बीघा के तूल्य भूमि 1.60 हैक्टर की खातेदारी दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में सैटलमेंट पुर्व की जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 की प्रति, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, हाल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाव अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम कागदडा के हाल खसरा नंबर 492 रकबा 102.31 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है, जो धारा 16 टिनेन्सी एक्ट. के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली का जवाव प्राप्त होने के पश्चात् पत्रावली को प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखा गया। प्रार्थी अधिवक्ता को साक्ष्य में आवंटन आदेश व नामा.करण की प्रतियॉ प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय / अवसर दिये जाने के बावजुद साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससे पत्रावली को बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थीगण द्वारा कागदडा के हाल खसरा नंबर 492 रकबा 102.31 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर मेंसे 10 बीघा के तूल्य 1.60 हैक्टर की भूमि आवंटन दिनांक 1.7.1975 के आधार पर दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी चाही है, परन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जिस भूमि की खातेदारी दर्ज कराये जाने की मांग की जा रही है, वह भूमि कागदडा के हाल खसरा नंबर 492 रकबा 102.31 हैक्टर वर्तमान अधिकार अभिलेखों में ग्राम पंचायत के खाते में बतौर गोचर दर्ज है। किस्म गोचर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित सूची में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित भूमि है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner